क्रम-संख्या–76

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 30 मार्च, 2011

चैत्र 9, 1933 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

नगर विकास अनुभाग–9

संख्या 649/नौ-9-2011-163ज-2010

लखनऊ, 30 मार्च, 2011

अधिसूचना

प०आ०–232

उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 2011) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से एक बोर्ड की स्थापना करते हैं, जिसे उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड कहा जायेगा।

आज्ञा से,
आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 649/Nine-9-2011-163ja/2010, dated March 30, 2011.

No. 649/IX-9–2011-163ja-2010
Dated Lucknow, March 30, 2011

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 4 of the Uttar Pradesh Board for Development of Municipal Financial Resources Act, 2011 (U.P. Act no. 11 of 2011) the Governor is pleased to establish with effect from the date of publication of this notification in the *gazette* a Board to be called the Uttar Pradesh Board for the Development of Municipal financial Resources.

By order,
ALOK RANJAN,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1334 राजपत्र (हिन्दी)–(2700)–2011–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 24 सा0 नगर विकास–(2701)–2011–100 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

1334 Rph Data 8